



# राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ 30 प्र 0

(उ०प्र० शासन के शा०सं० 924/आठ-9-31/179/78 वि. 27.2.82 द्वारा मान्यता प्राप्त)  
कमरा नं० 15, अभियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

**अध्यक्ष**  
अवधेश कुमार सिंह  
9454456321

**महासचिव**  
विजय कुमार  
9454456462

**उपाध्यक्ष**  
विक्रम यादव (लखनऊ जोन)  
9454456349  
विजय सिंह (वाराणसी जोन)  
राकेश कुमार मौर्या (बरेली जोन)  
अशोक कुमार त्रिपाठी (आगरा जोन)

**कोषाध्यक्ष**  
अमित कुमार यादव  
9454456968

**सचिव**  
सुनील कुमार संगम

**संयुक्त सचिव**  
विवेक श्रीवास्तव (लखनऊ जोन)  
नवनीत कुमार त्रिपाठी (वाराणसी जोन)  
कमलेन्द्र कुमार विमल (बरेली जोन)  
नीतू वर्मा (आगरा जोन)

**उपसचिव**  
सुशील पाण्डेय (लखनऊ जोन)  
अमन प्रसाद अमन (वाराणसी जोन)  
गजेन्द्र कुमार (बरेली जोन)  
प्रशांत कुमार मिश्रा (आगरा जोन)

सेवा मे  
पत्रिका .....  
मा. अपर मुख्य सचिव (गृह) महोदय  
उ.प्र.शासन लखनऊ

दिनांक 17.09.2019

**विषय: प्रदेश के विधिक सलाह से सम्बन्धित समस्त पद अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोधपत्र:-**

मा.महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में 1266 राजपत्रित अधिकारियों का अभियोजन संवर्ग अपनी व्यावसायिक दक्षता के साथ कार्यरत है। संवर्ग के सभी अभियोजक लोक सेवा आयोग से त्रिस्तरीय परीक्षोपरान्त न्यायिक अधिकारियों की भाँति चयनित किये जाते हैं, परन्तु उनसे अपनी सेवा के अन्त तक सामान्यतः मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में ही कार्य लिया जाता है जबकि उसी योग्यता के आधार पर उसी तरह चयनित न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति मजिस्ट्रेट से लेकर मा. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तक प्रमोशन के आधार पर हो जाता है। अभियोजन संवर्ग की सेवा का मुख्यतः दो कार्य है। प्रथमतः न्यायालयों में राज्य की तरफ से पैरवी करते हुये अपराधियों को दण्डित कराना तथा दूसरा कार्य विधिक सलाह प्रदान करने का। चूंकि उक्त सेवा के समस्त अधिकारी गृह विभाग के अधीन आते हैं और अन्तिम रूप से गृह विभाग के प्रति उत्तरदायी होते हैं इसलिये विधिक सलाह के मामले में भी उनका उत्तरदायित्व गृह विभाग के प्रति बना रहता है। परन्तु दुर्भाग्य से अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता का पूर्ण उपयोग इस बिन्दु पर राज्य के हित में नहीं हो पा रहा है, और विधिक सलाह के तमाम महत्वपूर्ण पद अन्य सेवा के अधिकारियों को दे दिया गया है जबकि अभियोजन संवर्ग के अलावा अन्य कोई सेवा विधिक सलाहकारी सेवा नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में जब अभियोजन संवर्ग का अधिकारी किसी भी अधिकारी को विधिक सलाह लिखा पढ़ी में देता है तो अपने मूल पद के साथ ही वह विधिक सलाहकार भी अंकित करता है। यह भी बहुत ही विनमतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि शासन में संवर्ग से विधिक सलाह के लिये कोई पद पदास्थापित नहीं किया गया है जबकि गृह विभाग के अधीन व कार्यपालिका से सीधे जुड़े होने के कारण शासन स्तर पर भी विधिक सलाह के लिये अपर निदेशक अभियोजन, संयुक्त निदेशक अभियोजन, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व अभियोजन अधिकारी के एक एक पद का पदस्थापन होना चाहिये जो आवश्यकतानुसार शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दिन प्रतिदिन माँगे जाने वाले



# राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ 30 प्र०

(उ०प्र० शासन के शा०सं० 924/आठ-9-31/179/78 वि. 27.2.82 द्वारा मान्यता प्राप्त)  
कमरा नं० 15, अभियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

**अध्यक्ष**  
अवधेश कुमार सिंह  
9454456321

**महासचिव**  
विजय कुमार  
9454456462

**उपाध्यक्ष**  
विक्रम यादव (लखनऊ जोन)  
9454456349  
विजय सिंह (वाराणसी जोन)  
राकेश कुमार मौर्या (बरेली जोन)  
अशोक कुमार त्रिपाठी (आगरा जोन)

**कोषाध्यक्ष**  
अमित कुमार यादव  
9454456968

**सचिव**  
सुनील कुमार संगम

**संयुक्त सचिव**  
विवेक श्रीवास्तव (लखनऊ जोन)  
नवनीत कुमार त्रिपाठी (वाराणसी जोन)  
कमलेन्द्र कुमार विमल (बरेली जोन)  
नीतू वर्मा (आगरा जोन)

**उपसचिव**  
सुशील पाण्डेय (लखनऊ जोन)  
अमन प्रसाद अमन (वाराणसी जोन)  
गजेन्द्र कुमार (बरेली जोन)  
प्रशांत कुमार मिश्रा (आगरा जोन)

पत्रांक .....


दिनांक .....

सीधे जुड़े होने के कारण शासन स्तर पर भी विधिक सलाह के लिये अपर निदेशक अभियोजन, संयुक्त निदेशक अभियोजन, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व अभियोजन अधिकारी के एक एक पद का पदस्थापन होना चाहिये जो आवश्यकतानुसार शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दिन प्रतिदिन माँगे जाने वाले विधिक सलाह को दे सके और उक्त संवर्ग के अधिकारियों की क्षमता का अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सके।

अतः मा. महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा की जाय, जिससे उ.प्र. राज्य की तरफ से अभियोजन संवर्ग के अनुभवी अधिकारियों की बेहतर क्षमता का उपयोग राज्य हित व जनहित में किया जा सके तथा संवर्ग अपने गुरुतर दायित्व के निर्वहन से वंचित न रहे। मा. महोदय की महान कृपा होगी।

सादर।

**भवदीय**

  
(विजय कुमार)  
महासचिव